

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4627]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2018/अग्रहायण 7, 1940

No. 4627]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018/AGRAHAYANA 7, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 5848(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यालय आदेश संख्या एनएफआरए-05/2/2018-एनएफआरए-एमसीए, तारीख 01 अक्तूबर, 2018 द्वारा श्री रंगाचारी श्रीधरण को, 1 अक्तूबर, 2018 (अपराहन) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पदधारी के पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

2. अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के सेवा के निबंधन और शर्तें राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2018 द्वारा शासित होंगे।

[फा. सं. 5/2/2018-एनएफआरए] के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 5848(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government vide office order No. NFRA-05/2/2018-NFRA-MCA dated 01st October, 2018 appointed Shri Rangachari Sridharan as the Chairperson, the National

6879 GI/2018 (1)

Financial Reporting Authority (NFRA), with effect from the 1st October, 2018 (afternoon) for a period of three years or till the incumbent attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

2. The terms and conditions of service of the Chairperson, NFRA shall be governed by the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018.

[F. No. 5/2/2018- NFRA] K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 5849(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यालय आदेश संख्या एनएफआरए-05/2/2018-एनएफआरए-एमसीए, तारीख 01 अक्तूबर, 2018 द्वारा डॉ. प्रसन्नजीत मुखर्जी को, 3 अक्तूबर, 2018 (पूर्वाहन) से तीन वर्ष की अविध के लिए या पदधारी के पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. सदस्य, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के सेवा के निबंधन और शर्तें राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2018 द्वारा शासित होंगे।

[फा. सं. 5/2/2018-एनएफआरए]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

- **S.O. 5849(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government vide office order No. NFRA-05/2/2018-NFRA-MCA dated 01st October, 2018 appointed Dr. Prasenjit Mukherjee as the full time Member, the National Financial Reporting Authority (NFRA), with effect from the 3rd October, 2018 (forenoon) for a period of three years or till the incumbent attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.
- 2. The terms and conditions of service of the Member, NFRA shall be governed by the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018.

[F. No. 5/2/2018- NFRA]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.